रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/93 REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 2, 1993/आश्विन 10, 1915
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 2, 1993/ASVINA 10, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1993

सा.का.नि. 480:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद (ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

114. GSR 910(E) dated 27-6-86
115. GSR 939(E) dated 9-7-86 Corrigendum
116. GSR 1006(E) dated 18-8-86 Corrigendum
117. GSR 1149(E) dated 15-10-86 Corrigendum
118. GSR 1207(E) dated 18-11-86
119. GSR 1207(E) dated 18-11-86 Corrigendum
120. GSR 1228(E) dated 27-11-86
121. GSR 12(E) dated 5-1-87
122. GSR 270(E) dated 2-3-87
123. GSR 344(E) dated 31-3-87 Corrigendum
124. GSR 422(E) dated 29-4-87 Corrigendum
125. GSR 500(E) dated 15-5-87 Corrigendum
126. GSR 569(E) dated 12-6-87
127. GSR 840(E) dated 6-10-87
128. GSR 900(E) dated 10-11-87
129. GSR 916(E) dated 17-11-87
130. GSR 917(E) dated 17-11-87
131. GSR 918(E) dated 17-11-87 Corrigendum
132. GSR 72(E) dated 3-2-88 Corrigendum
133. GSR 73(E) dated 3-2-88 Corrigendum
134. GSR 366(E) dated 23-3-88 Corrigendum
135. GSR 367(E) dated 23-3-88
136. GSR 437(E) dated 8-4-88
137. GSR 436(E) dated 8-4-88
138. GSR 454(E) dated 8-4-88
139. GSR 618(E) dated 16-5-88
140. GSR 855(E) dated 12-8-88
141. GSR 856(E) dated 12-3-88
142. GSR 924(E) dated 13-9-88 Corrigendum
143. GSR 1081(E) dated 17-11-88
144. GSR 1157(E) dated 9-12-88
145. GSR 42(E) dated 20-1-89 Corrigendum
146. GSR 128(E) dated 8-3-90
147. GSR 411(E) dated 29-3-90
148. GSR 445(E) dated 16-4-90
149. GSR 457(E) dated 23-4-90
150. GSR 729(E) dated 23-8-90
151. GSR 732(E) dated 23-8-90
152. GSR 727(E) dated 23-8-90
153. GSR 764(E) dated 7-9-90
154. GSR 10(E) dated 7-1-91
155. GSR 24(E) dated 15-1-91
156. GSR 124(E) dated 5-3-91
157. GSR 281(E) dated 29-5-91
158. GSR 257(E) dated 3-5-91
159. GSR 494(E) dated 25-7-91
160. GSR 731(E) dated 10-12-91
161. GSR 91(E) dated 7-2-92
162. GSR 101(E) dated 18-2-92
163. GSR 314(E) dated 9-3-92 Corrigendum
164. GSR 524(E) dated 15-5-92
165. GSR 591(E) dated 15-6-92
166. GSR 596(E) dated 17-6-92
167. GSR 784(E) dated 28-9-92
168. GSR 903(E) dated 2-12-92
169. GSR 907(E) dated 4-12-92
170. GSR 483(E) dated 30-6-93 Corrigendum
171. GSR 509(E) dated 14-7-93 Corrigendum

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1993

सा.का.नि. 482.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये 1 जून, 1986 से प्रभावी समझे जाएंगे।

2. आकाशवाणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में :—

(क) क्रम संख्यांक 1 के सामने इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित स्तम्भ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रुपये"

(ख) क्रम संख्यांक 2 के सामने मास्टर तकनीशियन के पद से संबंधित, स्तम्भ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"1320-30-1560-द.रो.-40-2040 रुपये"

(ग) क्रम संख्यांक 3 के सामने तकनीशियन के पद से संबंधित स्तम्भ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1200-30-1440-द.रो.-30-1800 रु."

स्पष्टीकरण ज्ञापन

अधीनस्थ विधायन समिति (दसवीं लोक सभा) ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया था कि इंजीनियरी सहायक, मास्टर तकनीशियन और तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमों में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उनके पदों के पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिए गए हैं। वास्तविक व्यवहार में इन पदों पर कार्य कर रहे पदधारी 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे हैं। इन परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 में पुनरीक्षित वेतनमान सम्मिलित कर दिए गए थे। तथापि, अनवधानता से वे इस प्रकार अधिसूचित किए गए थे कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। चूंकि उक्त अधिसूचना वास्तविक स्थिति नहीं होते थे इसलिए यह महसूस किया गया है कि यह संशोधन जारी करके गलती को सुधारा जाए।

2. इस अधिसूचना को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 19-10-1992 की अधिसूचना संख्या 310/46/89-बी (डी) के अन्तर्गत जारी दिनांक 5-12-1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

[संख्या 310/46/89-बी (डी.)]
वी.के. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रमुख नियमों को 2 जून, 1979 की सा.का.नि. 762 द्वारा अधिसूचित किया गया था और क्रमशः निम्न द्वारा संशोधन किया गया।

1. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150 दिनांक 7-2-1981
2. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 605 दिनांक 22-6-1985
3. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727 दिनांक 6-9-1985
4. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302 दिनांक 25-4-1987
5. अधिसूचना संख्या 3/45/88-एस. आर (ए) (बी) (डी) दिनांक 22-6-1989
6. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 119 दिनांक 24-2-1990
7. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213 दिनांक 7-4-1990
8. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342 दिनांक 1-6-1991
9. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 दिनांक 5-12-1992

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd September, 1993

G.S.R. 482.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (i) These Rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1993.

(ii) They shall be deemed to have come into force on 1st day of January, 1986.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1979,

(a) against Sl. No. 1 relating to the post of Engineering Assistant, in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—
"Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600";

(b) against Sl. No. 2 relating to the post of Mast Technician in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—
"Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040";

(c) against Sl. No. 3 relating to the post of Technician, in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—
"Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800".

EXPLANATORY MEMORANDUM

It was observed by the Committee on Subordinate Legislation (Tenth Lok Sabha) in its second report that the recruitment rules for the post of Engineering Assistant, Mast Technician and Technician did not carry the revised pay scales of their posts as recommended by the Fourth Central Pay Commission. In actual practice the incumbents working in these posts are drawing the revised pay scales with effect from 1st January, 1986. In order to effect this change the revised pay scales were incorporated in the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1991. However, inadvertently, the same were notified to come into force on the date of publication in the Official Gazette. As the said notification did not depict the actual facts; so it has been felt to rectify the error by issuing an amendment.

2. This supersedes Ministry of Information adn Broadcasting's Notification No. GSR 553 dated 5th December, 1992 issued vide Notification No. 310/46/89-B(D) dated 19th October, 1992.

[No. 310/46/89-B(D)]
V. K. SHARMA, Under Secy.

Foot-Note.—Principal Rules were notified by GSR 762 dated 2nd June, 1979 and subsequently amended by :—

1. Notification No. GSR 150 dated 7-2-1981.
2. Notification No. GSR 605 dated 22-6-1985.
3. Notification No. GSR 727 dated 6-9-1986.
4. Notification No. GSR 302 dated 25-4-1987.
5. Notification No. 3/45/88-S.IV(A)/B(D) dated 22-6-1989.
6. Notification No. GSR 119 dated 24-2-1990.
7. Notification No. GSR 213 dated 7-4-1990.
8. Notification No. GSR 342 dated 1-6-1991.
9. Notification No. GSR 553 dated 5-12-1992 (since superseded by this Notification).

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

सा.का.नि. 483.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम मंत्रालय (अन्वेषक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 1963 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली में अन्वेषक श्रेणी-2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम मंत्रालय (अन्वेषक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं : भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु यह कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा :

(क) सरकारी सेवकों की दशा में, या

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों या अन्य विशेष प्रवर्ग से संबंधित किन्हीं अन्य व्यक्तियों की दशा में, शिथिल की जा सकती है।

4. अयोग्यता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इस नियम में के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।